कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (म.प्र.)

–: विविध आदेश :–

क्रमांक : क्यू– 18 /जिला एवं सत्र न्याया./2020 कटनी, दि.22.04.2020

माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर, के ज्ञापन क्रं.Reg(IT)(SA)/2020/Q Jabalpur, Dated 20-04-2020 के द्वारा लॉक डाउन अवधि मे जिला न्यायालयों मे अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये है। अतः उक्त ज्ञापन के संदर्भ मे निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है:–

01. सभी संबंधितो को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त दिशा निर्देशों का सूक्ष्मता से गहन अवलोकन करते हुए उनका शब्द एवं भावना में (in letter and sprit)/ कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे।

02. कंडिका क्रं.5, 6, 7 एवं 10 के संदर्भ में वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए निम्नानुसार रिमोट प्वाइंट निर्धारित किये जाते है :–

A- जिला मुख्यालय कटनी में पदस्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अपने अपने न्यायालय कक्ष मे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करेंगे।

B- जिला मुख्यालय कटनी में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय कक्ष मे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करेंगे।

C- जिला मुख्यालय कटनी में अधिवक्ता/अभियुक्त/पुलिस अधिकारी/ जमानतदार /पक्षकार/धारा 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कथन अभिलिखित करने/जी.पी./डी.पी.ओ. आदि की सुनवाई हेतु क्रमशः–

1. वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष
2. न्यायालय का नामः– श्री अनिल कुमार, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष क्रमांक – 10
3. न्यायालय का नाम :– श्रीमती पल्लवी द्विवेदी, नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष क्रं. 11

रिमोट पाउंट निर्धारित किये जाते है।

D- A- <u>बाहयवर्ती न्यायालय विजयराघवगढ</u> में अधिवक्ता/अभियुक्त/पुलिस अधिकारी/जमानतदार/पक्षकार/धारा 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कथन अभिलिखित करने/जी.पी./डी.पी.ओ. आदि की सुनवाई हेतु वी.सी. प्वाइंट हेतु श्री रामसहारे राज का न्यायालय कक्ष निर्धारित किया जाता है तथा न्यायाधीश द्वारा सुनवाई हेतु श्री रामसहारे राज का चेंबर निर्धारित किया जाता है जहां से लेपटाप/मोबाइल वीडियो एप के माध्यम से सुनवाई क़ी जावेगी।

B- <u>बाहयवर्ती न्यायालय बरही में</u> अधिवक्ता/अभियुक्त/पुलिस अधिकारी /जमानतदार/पक्षकार/धारा 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कथन अभिलिखित करने/जी.पी./डी.पी.ओ. आदि की सुनवाई हेतु वी.सी.

प्वाइंट हेतु श्री आर.पी.सेवतिया का न्यायालय कक्ष निर्धारित किया जाता है तथा न्यायाधीश द्वारा सुनवाई हेतु श्री आर.पी.सेवतिया का चेंबर निर्धारित किया जाता है जहां से लेपटाप/मोबाइल वीडियो एप के माध्यम से सुनवाई की जावेगी।

C- **<u>बाह्यवर्ती न्यायालय ढीमरखेड़ा में</u>** अधिवक्ता/अभियुक्त/पुलिस अधिकारी/जमानतदार/पक्षकार/धारा 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कथन अभिलिखित करने/जी.पी./डी.पी.ओ. आदि की सुनवाई हेतु, वी.सी. सुविधा उपलब्ध ना होने के कारण सुनवाई, Vidyo Mobile App के माध्यम से की जावेगी तथा अपरिहार्य तकनीकी कमियों की दशा में ही संबंधित न्यायालय के समक्ष, सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड–19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु जारी आवश्यक दिशा निर्देशों का कठोरता से पालन करते हुये, व्यक्तिशः सुनवाई की जावेगी।

03. उक्त रिमोट प्वाइंटो की उपलब्धता के संबंध मे न्यायालय परिसर/अधिवक्ता कक्ष मे प्रमुख स्थानों, पुलिस कार्यालय, जेल आदि मे सूची लगाई जाकर उक्त संबंध मे विभिन्न माध्यमों से पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जावे एवं संबंधितों को अवगत कराया जावे।

04. उक्त रिमोट प्वाइंटो पर हेल्प डेस्क के संचालन हेतु मुख्यालय पर असिस्टेंट सिस्टम आफीसर श्री दीपक राजपूत की डियूटी लगाई जाती है जिनका मोबाइल नं.9300631713 है तथा विजयराघवगढ़ में, श्री श्रीकांत झा, सिस्टम अस्सिटेंट जिनका मोबाइल नंबर. 8982633837 है, बरही में श्री पंकज, सिस्टम अस्सिटेट जिनका मोबाइल नंबर 7224016460 है एवं ढीमरखेड़ा में श्री चंदभान नगपुरे, स्टेनोग्राफर, जिनका मोबाईल नं. 79875.46271 है, की हेल्प डेस्क के संचालन हेतु डयूटी लगाई जाती है।

05. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी, को निर्देशित किया जाता है कि वह ऐसे पैरालीगल वालेंटियर्स, जो वीडियो कांफ्रेंसिंग की तकनीक से परिचित हो, को नामित कर उन्हें निर्देशित करे कि वह अभिभाषक संघ/जेल/पुलिस एजेंसी आदि से संपर्क कर उन्हे वीडियो कांफ्रेसिंग के उद्‌देश्य/प्रकिया/लाभ से अवगत करावे –

– सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी, उक्त संबंध मे नामित पैरालीगल वालेंटियर्स के नाम मय मोबाइल नंबर की सूची जिला न्यायालय में प्रमुख स्थानों पर लगाते हुए अधिवक्ता संघ आदि को उपलब्ध करावे।

06. स्थापना पर कोविड–19 के संबंध मे गठित समिति अभिभाषक संघ/जेल/पुलिस एजेंसी आदि से संपर्क कर उन्हे वीडियो कांफ्रेसिंग के उद्‌देश्य/प्रकिया/लाभ से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करेगी।

07. स्थापना पर पदस्थ समस्त न्यायाधीशगण को निर्देशित किया जाता है कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए न्यायालय में उपलब्ध हार्डवेयर, स्वयं के लेपटाप एवं

स्वयं मोबाइल फोन मे उपलब्ध Vidyo Mobile App का ही उपयोग करें। उक्त प्रयोजन हेतु वह तत्काल उक्त एप डाउन लोड करें यदि पूर्व से डाउन लोड न हो। उक्त संबंध में सिस्टम आफीसर/असिस्टेंट सिस्टम आफीसर की मदद ली जा सकती है।

08. <u>उक्त दिशा निर्देशों की कंडिका–15 के संदर्भ में प्रत्येक दिन आवेदन पत्रो की प्रस्तुति हेतु दोपहर 1.00 बजे तक की समय सीमा निर्धारित की जाती है। प्रत्येक दिन इस निर्धारित समय सीमा मे प्रस्तुत होने वाले आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा और उक्त निर्धारित समय सीमा के बाद प्रस्तुत होने वाले आवेदनों पर आगामी दिनांक को विचार में लिया जायेगा।</u>

09. प्रथम रिमांड के मामलो मे प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्रों को अत्यावश्यक प्रकृति का मानकर उसी दिन सुनवाई की जा सकती है।

10. आवेदन पत्रों को ई–मेल से प्राप्त कर मेरे समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सिस्टम आफीसर श्री रामकिशोर मिश्रा को अधिकृत किया जाता है।

- श्री रामकिशोर मिश्रा, सिस्टम आफीसर, प्रत्येक दिन 1.00 बजे तक प्राप्त होने वाले आवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु 2.00 बजे मेरे समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- श्री रामकिशोर मिश्रा, सिस्टम आफीसर, संबंधित आवेदनो पर मेरे द्वारा पारित आदेश से संबंधित अधिवक्ता/पक्षकार/अभियुक्त/पुलिस कर्मी आदि को एवं संबंधित न्यायिक अधिकारीगण को दिशा निर्देशों में उल्लेख अनुसार/विधिवत अवगत करायेंगे।
- श्री रामकिशोर मिश्रा, सिस्टम आफीसर, संबंधित आवेदन, जिनमे सुनवाई की अनुमति प्रदान की गई है, समस्त प्राप्त दस्तावेजों सहित संबंधित न्यायिक अधिकारी को दिशा निर्देशों मे उल्लेख अनुसार/विधिवत प्रेषित करेंगे।
- श्री रामकिशोर मिश्रा, सिस्टम आफीसर एवं संबंधित न्यायिक अधिकारीगण संबंधित आवेदनो पर पारित आदेशों से दिशा निर्देशों में उल्लेख अनुसार/विधिवत संबंधितों को अवगत कराया जाना/अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

11. दिशा निर्देशों की कंडिका–22 के संदर्भ मे मामले की अर्जेन्सी को निर्धारित करने हेतु बाह्यवर्ती न्यायालय विजयराघवगढ़ में श्री रामसहारे राज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/बरही में श्री आर.पी.सेवतिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं ढीमरखेड़ा में श्री चौधर सिंह सैयाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को अधिकृत किया जाता है।

- वर्तमान विविध आदेश की उपरोक्त कंडिका–10 मे वर्णित निर्देश में बाह्यवर्ती न्यायालयों के संबंध मे सिस्टम आफीसर के स्थान पर संबंधित तहसीलो में पदस्थ असिस्टेंट सिस्टम आफीसर पढ़ा जावें तथा तहसीलो मे कंडिका–10 में उल्लिखित कार्य संबंधित तहसील में पदस्थ असिस्टेंट सिस्टम आफीसर करेंगे।

12. समस्त अधिवक्तागण/अभियुक्त/पुलिस अधिकारी/जमानतदार/पक्षकार/जी.

पी./डी.पी.ओ. आदि यह सुनिश्चित करेंगे कि अत्यावश्यक प्रकृति के मामले की सुनवाई हेतु प्रस्तुत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय के उक्त ज्ञापन के साथ प्राप्त दिशा निर्देशों मे उल्लिखित निर्देशों के अनुसार/में वर्णित प्रकिया का पालन करते हुए प्रस्तुत किया गया है। यदि आवेदन उक्त दिशा निर्देशों की अपेक्षाओं को/प्रकियात्मक अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता, तो उक्त आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है और संबंधित न्यायाधीश द्वारा सुनवाई से इंकार किया जा सकता है।

13. संबंधित न्यायाधीशगण अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि मामले मे उक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जा चुका है।

14. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी, रिमांड के दौरान निःशुल्क विधिक सेवा प्रदाय करने हेतु पैनल अधिवक्तागण की सूची मे से उक्त दिशा निर्देशों की कंडिका–9 मे वर्णित अर्हता का पालन करने वाले अधिवक्ताओं की सूची मय नाम एवं मोबाइल नंबर संबंधित न्यायालयों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें और उक्त संबंध में संबंधित पैनल अधिवक्तागण को भी सूचित करें।

15. समस्त अधिवक्तागण/अभियुक्त/पुलिस अधिकारी/जमानतदार/पक्षकार/जी. पी./डी.पी.ओ. आदि तथा समस्त न्यायाधीशगण/न्यायालयीन कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि अत्यावश्यक प्रकृति के आवेदनों की प्रस्तुति/रिकार्ड –केस डायरी की तलबी/सुनवाई दिनांक की सूचना/पारित आदेश की सूचना /कियान्वयन आदि से संबंधित पूर्ण कार्यवाही लॉक डाउन की अवधि में उक्त ज्ञापन के साथ संलग्न दिशा निर्देशो में उल्लिखित प्रकिया अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

16. उक्त दिशा निर्देशों की कंडिका–26 के संदर्भ मे नोडल अधिकारी की नियुक्ति एवं कंडिका 13 और 36 के निर्देशों का कठोरता पूर्वक पालन हेतु पुलिस अधीक्षक, कटनी, को पृथक से पत्र जारी हो।

17. वीडियो कांफ्रेंसिंग आदि के माध्यम से सुनवाई आदि के संबंध मे माननीय उच्च न्यायालय/इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

18. स्थापना पर कोरोना संकमण एवं उक्त संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन/इस कार्यालय के द्वारा जारी ज्ञापनों आदि के कियान्वनय हेतु गठित समिति को निर्देशित किया जाता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि माननीय उच्च न्यायालय के उक्त ज्ञापन के साथ प्राप्त उक्त दिशा निर्देशों का संबंधितों के द्वारा पालन किया जा रहा है।

(अचल कुमार पालीवाल)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी

पृष्ठांकन कमांक : क्यू–19/2020

कटनी, दि.22.04.2020

<u>प्रतिलिपि</u> :– 01.श्री अजय प्रकाश मिश्र, विशेष न्यायाधीश,कटनी, श्री रामसहारे राज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, विजयराघवगढ़, जिला कटनी, श्री आर.पी.सेवतिया,

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,बरही जिला कटनी, श्री चौधर सिंह सैयाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ढीमरखेड़ा जिला कटनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

02. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय कटनी, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

03. समस्त न्यायिक अधिकारीगण जिला न्यायालय, कटनी, तहसील बरही/वि.गढ़/ढीमरखेड़ा, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

04. कोरोना के रोकथाम हेतु गठित समिति के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

05. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

06. जिला मजिस्ट्रेट, कटनी, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

07. पुलिस अधीक्षक, कटनी, की ओर पालनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित।

08. अधिवक्ता संघ जिला न्यायालय कटनी/बरही/वि.गढ़/ढीमरखेड़ा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

09. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर/जिला कम्प्यूटर कमेटी/सिस्टम आफीसर/असिस्टेंट सिस्टम आफीसर जिला न्यायालय कटनी एवं प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर, असिस्टेंट सिस्टम आफीसर तहसील बरही/वि.गढ़/ढीमरखेड़ा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

10. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर/जिला कम्प्यूटर कमेटी/सिस्टम आफीसर/असिस्टेंट सिस्टम आफीसर/प्रशासनिक अधिकारी जिला न्यायालय कटनी, की ओर समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं अधिवक्ता संघ जिला न्यायालय कटनी, तहसील बरही/वि.गढ़/ढीमरखेड़ा को ईमेल/व्हाटस्एप ग्रुप आदि के माध्यम से सूचित करने हेतु,

11. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर/जिला कम्प्यूटर कमेटी/सिस्टम आफीसर/असिस्टेंट सिस्टम आफीसर जिला न्यायालय कटनी की ओर जिला न्यायालय कटनी की बेवसाइट पर उक्त समस्त हेल्प डेस्क नं. एवं रिमोट प्वाईटों (जिला मुख्यालय कटनी एवं समस्त बाह्यवर्ती न्यायालयों के) तथा वर्तमान आदेश अपलोड/प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

12. उप संचालक अभियोजन/लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित।

13. जनसंपर्क अधिकारी,कटनी की ओर सभी दैनिक समाचार पत्रो में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

14. अधीक्षक, जिला जेल कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :– माननीय उच्च न्यायालय का ज्ञापन मय जिला न्यायालयों में अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई हेतु जारी दिशा निर्देश की प्रति।

22.4.2020

(अचल कुमार पालीवाल)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी (म.प्र.)

<u>परिशिष्ट – ए</u>

ई–मेल आईडी

जिला न्यायालय कटनी –	dcourtkat-mp@nic.in
बाह्य न्यायालय बरही –	pkjburande99@gmail.com
बाह्य न्यायालय विजयराघवगढ़ –	vijayraghavgarh@mphc.in
	shri_jha@yahoo.co.in
बाह्य न्यायालय ढीमरखेड़ा –	chandrabhannagpure1993@gmail.com